



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275368
CG-DL-E-11082026-275368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]
No. 226]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

विषय: खेलो इंडिया योजना के संबंध में।

फा सं. K-15018/8/2026-KID.—भारत सरकार ने देश के खेल परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए खेलो इंडिया योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

2. खेलो भारत नीति 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, यह योजना जमीनी स्तर से लेकर उत्कृष्ट स्तर तक प्रतिभा विकास के लिए एक एकीकृत मार्ग प्रदान करती है। इस मार्ग को देशभर में प्रशिक्षण सुविधाओं के नेटवर्क, प्रशिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों के व्यवस्थित विकास तथा खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में महिलाओं, पैरा-एथलीटों, स्वदेशी खेलों और सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों का भी प्रावधान है।

3. योजना के निम्नलिखित नौ घटक हैं:

- पदक रणनीति हेतु खेल अवसंरचना
- रणनीतिक खेल परिसंपत्तियों का सुदृढीकरण

- iii. खेल अवसंरचना विकास हेतु राज्य कार्य योजना
- iv. खेल प्रतियोगिताएँ एवं लीग
- v. प्रतिभा पहचान एवं विकास
- vi. कोच एवं सहायक स्टाफ विकास
- vii. खेलो इंडिया प्रशिक्षण सुविधाएँ
- viii. फिट इंडिया मूवमेंट
- ix. खेल प्रौद्योगिकी

4. योजना में एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) का प्रावधान है, जो योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और उन्हें अनुमोदन हेतु विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति (डीपीएसी) के समक्ष प्रस्तुत करेगी। अनुमोदित परियोजनाओं की कड़ी निगरानी की जाएगी, जिसमें तृतीय-पक्ष निगरानी भी शामिल होगी।

5. योजना का संचालन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी) द्वारा किया जाएगा, जो इसकी सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था होगी।

6. योजना के लिए ₹29,054 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसमें केंद्र सरकार का ₹28,489 करोड़ का अंश और खेल अवसंरचना विकास के लिए राज्य कार्ययोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों का ₹565 करोड़ का अंश शामिल है।

7. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस योजना को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन हेतु एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

[फा. सं. K-15018/8/2026-KID]

हरि रंजन राव, सचिव

खेलो इंडिया स्कीम

1 विजन

स्कीम का विजन “भारत के खेल परिदृश्य का रूपांतरण” करना है।

यह स्कीम खेल अवसंरचना, प्रतिभा पहचान तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ कर वैश्विक मंच पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। यह खेलों को सामाजिक विकास, समावेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामुदायिक सहभागिता के साधन के रूप में प्रोत्साहित करती है, साथ ही जन भागीदारी के रूप में सुदृढ़ खेल संस्कृति के निर्माण पर बल देती है। खेलो भारत नीति-2025 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, यह स्कीम समग्र विकास, जीवन कौशल तथा शैक्षणिक एवं खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु खेलों को शिक्षा के साथ एकीकृत करती है। आधुनिक कोचिंग, खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं आंकड़ा-आधारित शासन के माध्यम से यह स्कीम एथलीटों के संपूर्ण जीवनचक्र में उनके विकास को सुदृढ़ करने तथा खेलों को राष्ट्रीय गौरव, सामाजिक एकता एवं आर्थिक विकास के प्रेरक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है।

2 स्कीम के घटक

स्कीम के विजन की पूर्ति तथा समग्र खेल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसके घटकों को खेल अवसंरचना, प्रतियोगिता, प्रशिक्षण सुविधाएँ, प्रौद्योगिकी आदि जैसे विशिष्ट पहलुओं तथा महिलाओं, पैरा

एथलीटों आदि जैसे विशिष्ट समूहों हेतु लक्षित उपायों पर केंद्रित किया गया है। तदनुसार, स्कीम में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे :

1. पदक रणनीति हेतु खेल अवसंरचना
2. रणनीतिक खेल परिसंपत्तियों का सुदृढीकरण
3. खेल अवसंरचना विकास हेतु राज्य कार्य योजना
4. खेल प्रतियोगिताएँ एवं लीग
5. प्रतिभा पहचान एवं विकास
6. कोच एवं सहायक स्टाफ विकास
7. खेलो इंडिया प्रशिक्षण सुविधाएँ
8. फिट इंडिया मूवमेंट
9. खेल प्रौद्योगिकी

2.1 पदक रणनीति हेतु खेल अवसंरचना

(i) **पृष्ठभूमि** : समग्र अवसंरचना विकास रणनीति को तीन घटकों में संरचित किया गया है : भारत की पदक रणनीति को समर्थन देना, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) तथा अन्य उन सुविधाओं को सुदृढ करना जो उत्कृष्ट एथलीटों को पोषित करती हैं, तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य का योगदान सुनिश्चित करना, ताकि स्वामित्व एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

वैश्विक अनुभव से स्पष्ट है कि गुणवत्तापूर्ण खेल अवसंरचना में निरंतर निवेश से दो से तीन ओलंपिक चक्रों के भीतर ओलंपिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। खेलो भारत नीति के अनुरूप, इस रणनीति में अवसंरचना को एथलीट विकास की आधारशिला माना गया है तथा दीर्घकालिक ओलंपिक पदक लक्ष्यों को समर्थन देने हेतु पदक संभावनाओं, क्षेत्रीय शक्तियों एवं लोकप्रियता के आधार पर क्षेत्रीय विश्लेषण के माध्यम से प्राथमिकता वाले खेलों की पहचान की गई है।

(ii) **योजना निर्माण प्रक्रिया** : यह घटक भारत की पदक रणनीति एवं ओडियम संभावनाओं के अनुरूप ओलंपिक, एशियाई खेलों एवं अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल विधाओं को प्राथमिकता देगा।

इसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिनमें खेल मैदान, छात्रावास, शक्ति एवं कंडीशनिंग सुविधाएँ, खेल विज्ञान केंद्र, संबद्ध सहायक अवसंरचना तथा अल्प-उपयोगित परिसंपत्तियों का सुधार और रखरखाव सम्मिलित होंगे। स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु संचालन एवं रखरखाव के लिए पृथक निधि का भी प्रावधान होगा। परियोजनाओं का चयन हितधारक परामर्श, क्षेत्रीय अध्ययन एवं अंतराल विश्लेषण के माध्यम से किया जाएगा, ताकि अवसंरचना संबंधी कमियों एवं प्रतिभा संभावनाओं का पता लगाया जा सके तथा सुविधाओं को प्रतिस्पर्धात्मक मार्गों से जोड़ते हुए जमीनी स्तर से उत्कृष्ट स्तर तक एथलीटों को सहायता प्रदान की जा सके।

(iii) **वित्तपोषण** : पाँच वर्ष की अवधि में ₹4,866 करोड़ की राशि निर्धारित की जाएगी।

2.2 रणनीतिक खेल परिसंपत्तियों का सुदृढीकरण

(i) **पृष्ठभूमि** : भारत की हालिया खेल उपलब्धियों को सुदृढ अवसंरचना, साई केंद्रों में बेहतर प्रशिक्षण परिस्थितियों, निजी क्षेत्र के सहयोग तथा एनएसएफ के साथ समन्वित योजना से सहायता प्राप्त हुई है। इस गति को बनाए रखने एवं प्रगति का विस्तार करने हेतु साई केंद्रों तथा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जैसी प्रमुख संस्थाओं के अंतर्गत रणनीतिक परिसंपत्तियों का उन्नयन अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान केंद्रों का आधुनिकीकरण एवं नए उच्च प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण वातावरण

उपलब्ध कराने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने तथा वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की दिशा में प्रगति को तीव्र करने में सहायक होगी।

(ii) **योजना निर्माण प्रक्रिया:** यह घटक वर्तमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण तथा उन्नत खेल विज्ञान एवं खेल चिकित्सा इकाइयों सहित नए उच्च प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना पर केंद्रित है। रणनीतिक अंतराल विश्लेषण, प्रदर्शन मानचित्रण एवं वैश्विक मानकों के आधार पर निवेश को उन खेल विधाओं एवं सुविधाओं पर प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें पदक संभावनाएँ अधिक हैं अथवा जिन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मानकों के अनुरूप उन्नयन की आवश्यकता है।

अवसंरचना विकास हेतु पात्र संगठनों को अनुदान-सहायता प्रदान की जाएगी तथा पैरा एथलीटों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सुगमता का प्रावधान किया जाएगा। इसमें खेलो इंडिया की प्रचलित परियोजनाओं से संबंधित प्रतिबद्ध देनदारियाँ भी सम्मिलित होंगी। खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं स्थायित्व को एकीकृत करते हुए यह घटक विश्वस्तरीय प्रशिक्षण वातावरण तैयार करने का लक्ष्य रखता है, जो भारत की ओलंपिक रणनीति को सुदृढ़ करे तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने में सहायता प्रदान करे।

(iii) वित्तपोषण : पाँच वर्ष की अवधि में ₹4,963 करोड़ की राशि निर्धारित की जाएगी।

2.3 खेल अवसंरचना विकास हेतु राज्य कार्य योजना

i) **पृष्ठभूमि:** राज्यों की ओर से खेल सुविधाओं के सृजन की लगातार मांग की जाती रही है, जिनकी आवश्यकताएँ हर राज्य के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। **केंद्र द्वारा प्रायोजित इस स्कीम (सीएसएस)** का यह घटक राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के बीच के अंतर को कम करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में भी खेल अवसंरचना उपलब्ध हो जो वर्तमान में मुख्य राष्ट्रीय पदक रणनीतियों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित यह घटक, संतुलित राष्ट्रीय खेल इकोसिस्टम की स्थापना हेतु केंद्र सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच साझेदारी के रूप में कार्य करती है।

ii) **योजना निर्माण प्रक्रिया:** यह केंद्र द्वारा प्रायोजित, राज्य-नेतृत्व घटक योजना निर्माण, संचालन तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग में राज्यों के स्वामित्व को प्रोत्साहित करता है। प्रस्तावों में राज्यों के बीच स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए हिस्सा दान सम्मिलित होगा।

वित्तपोषण निम्नलिखित श्रेणी मॉडल के अनुसार किया जाएगा : सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु 60:40, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु 90:10, संघ राज्य क्षेत्र हेतु 100 प्रतिशत केंद्रीय निधि जो सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय अनुशासन, साझा उत्तरदायित्व तथा एकरूप अवसंरचना विकसित हो।

iii) **वित्तपोषण:** पाँच वर्ष की अवधि में ₹1,965 करोड़ की राशि निर्धारित की जाएगी, जिसमें ₹565 करोड़ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा है।

2.4 खेल प्रतियोगिताएँ एवं लीग

i) **पृष्ठभूमि:** खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की पदक आकांक्षाओं तथा खेलो भारत नीति 2025 के समावेशी खेल विकास संबंधी विजन को सहायता प्रदान करने हेतु एकीकृत राष्ट्रीय मंच के रूप में संस्थागत किया जाएगा। खेल विकास पिरामिड के रणनीतिक प्रेरक के रूप में यह पहल प्रतिभा पहचान, एथलीट विकास तथा प्रदर्शन मानकीकरण हेतु संरचित प्रतियोगिताओं के माध्यम से जमीनी स्तर से उत्कृष्ट स्तर तक के मार्ग को सुदृढ़ करेगी।

वर्ष 2017-18 से अब तक की सफलता को आगे बढ़ाते हुए जिसमें 20 से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित 24 संस्करणों में 60,000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी सम्मिलित है, के आधार पर यह ढाँचा विभिन्न आयु वर्गों, विषयों तथा श्रेणियों की प्रतियोगिताओं का विस्तार करेगा, जिसमें पदक रणनीति से संबंधित खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी। लीगों की एक नई परत राष्ट्रीय आयोजनों से आगे बढ़कर सहभागिता को और अधिक गहन बनाएगी तथा जिला एवं राज्य स्तर पर राज्य खेल एवं शिक्षा विभागों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगी।

यह घटक महिलाओं, पैरा एथलीटों तथा लाभवंचित वर्गों के लिए अवसरों में सुधार कर लैंगिक एवं पहुँच संबंधी अंतरालों को भी दूर करेगा तथा खेलों को सशक्तिकरण, समावेशन, राष्ट्रीय एकीकरण एवं दीर्घकालिक पदक तैयारी के लिए साधन के रूप में बढ़ावा देगा।

ii) योजना निर्माण प्रक्रिया: घरेलू प्रतियोगिता ढाँचे को स्पर्धाओं एवं लीगों के संरचित मिश्रण के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा:

क. **प्रमुख स्पर्धाएँ :** युवा खेल एवं विश्वविद्यालय खेल जैसी प्रमुख प्रतिस्पर्धाएँ उत्कृष्ट प्रतिभाओं की पहचान एवं उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करेंगी।

ख. **विषयगत स्पर्धा :** बीच गेम्स, जल क्रीड़ा महोत्सव तथा मार्शल आर्ट्स गेम्स जैसी विषयगत प्रतिस्पर्धाएँ क्षेत्रीय, सांस्कृतिक तथा विविध खेलों को प्रोत्साहित करेंगी।

ग. **विद्यालय, विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय तथा खेल-विशिष्ट लीग** नियमित प्रतियोगिता अवसर उपलब्ध कराएँगी, प्रारंभिक प्रतिभा पहचान सुनिश्चित करेंगी, खेलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगी तथा वार्षिक खेल कैलेंडर के साथ संरेखण सुनिश्चित करेंगी।

घ. इस ढाँचे में महिलाओं की भागीदारी के विस्तार हेतु **अस्मिता लीग**, अशांत एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं की रचनात्मक सहभागिता हेतु **“शांति एवं विकास हेतु खेल”**, सांस्कृतिक एकीकरण के समर्थन हेतु **ग्रामीण, देशज और जनजातीय खेलों** का संवर्धन तथा पैरा खेलों में भागीदारी एवं प्रदर्शन को सुदृढ़ करने हेतु **दिव्यांगजनों** के लिए समर्पित सहायता भी सम्मिलित होगी।

iii) वित्तपोषण: पाँच वर्ष की अवधि में ₹2,358 करोड़ की राशि निर्धारित की जाएगी।

2.5 प्रतिभा पहचान एवं विकास = (टी.आई.डी)

i) पृष्ठभूमि: इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिभा पहचान एवं विकास (टी.आई.डी) घटक भारत की ओलंपिक पदक रूपरेखा तथा खेलो भारत नीति के विजन की एक प्रमुख आधारशिला है। इसका उद्देश्य देशभर से उच्च संभावना वाले एथलीटों की पहचान एवं उनके पोषण हेतु एक समन्वित, मानकीकृत, वैज्ञानिक रूप से संचालित तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणाली का निर्माण करना है। सामंजस्यपूर्ण प्रोटोकॉल, समन्वित कार्यान्वयन तथा उन्नत खेल विज्ञान एवं डिजिटल मंचों के उपयोग के माध्यम से यह पहल सुनिश्चित करती है कि प्रतिभा की प्रारंभिक अवस्था में पहचान की जाए तथा उसे संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। यह दृष्टिकोण जमीनी स्तर से उत्कृष्ट प्रदर्शन तक निर्बाध प्रगति-पथ का निर्माण करता है तथा उन वैश्विक सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों को प्रतिबिंबित करता है, जिनके माध्यम से विभिन्न देशों ने प्रारंभिक प्रतिभा पहचान को विश्वस्तरीय अवसंरचना तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं निगरानी के साथ जोड़कर अपने पदक प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

ii) योजना निर्माण प्रक्रिया: यह घटक पदक रणनीति के साथ संरेखित है ताकि एक समान, विज्ञान-आधारित राष्ट्रीय प्रतिभा पहचान एवं विकास ढाँचे के माध्यम से एथलीटों की व्यवस्थित रूप से पहचान एवं पोषण किया जा सक। यह विखंडित प्रोटोकॉल मानकीकृत मानदंडों से स्थापित करेगा, जिससे केंद्र, राज्य, निजी संस्थाओं, साई तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों के बीच अभिसरण संभव हो सकेगा।

दो एथलीट श्रेणियों की परिकल्पना की गई है: खेलो इंडिया एथलीट (केआईए)—जिसमें मौजूदा खेलो इंडिया एथलीट (केआईए), राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के एथलीट तथा मानदंडों को पूरा करने वाले एथलीट सम्मिलित हैं और उभरते खेलो इंडिया एथलीट (ई-केआईए) जिसमें साई के एथलीट शामिल हैं। साई प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) और मानक मानदंडों को पूरा करने वाली उभरती प्रतिभाएँ तथा तर्कसंगत मानकों के आधार पर पहचानी गई संभावित प्रतिभाओं को मानकीकृत किया गया है।

यह मार्ग चार-स्तरीय संरचना का अनुसरण करेगा— आधार स्तर, जमीनी स्तर, मध्यवर्ती स्तर, उत्कृष्ट स्तर, प्रत्येक स्तर को विशिष्ट प्रशिक्षण वातावरण एवं प्रगति तंत्र से जोड़ा जाएगा। आधारभूत स्तर पर स्कूल इकोसिस्टम एवं शिक्षा मंत्रालय के सक्रिय सहयोग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय, खेलो इंडिया फीडर स्कूल तथा खेलो इंडिया केंद्रों के माध्यम से जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की पहचान एवं पोषण किया जाएगा। मध्यवर्ती स्तर के एथलीटों का पोषण साई प्रशिक्षण केंद्रों, खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों, खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों तथा अन्य उपयुक्त अकादमियों के माध्यम से किया जाएगा। प्रतिभा की पहचान एवं पोषण संस्थागत उपायों जैसे कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न खेलों हेतु प्रतिभा खोजकर्ताओं, प्रतिभा पहचान क्षेत्रीय समितियों (टीआईजेडसी) तथा प्रत्येक खेल के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा पहचान एवं विकास समिति के माध्यम से किया जाता है। उत्कृष्ट एथलीटों को राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। पहचान एवं पोषण की प्रक्रिया विज्ञान, वैश्विक सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों तथा डिजिटल समाधानों पर आधारित है, जिनमें परीक्षणों की श्रृंखला, मूल्यांकन शिविर, प्रदर्शन निगरानी, एथलीट प्रबंधन प्रणाली आदि सम्मिलित हैं।

यह घटक उच्च प्रदर्शन निदेशकों, उच्च प्रदर्शन प्रबंधकों, विशेषज्ञ कोचों की नियुक्ति, मानकीकृत प्रोटोकॉल, एथलीट निगरानी, अंतर-खेल उपयुक्तता मूल्यांकन तथा संरचित प्रगति अथवा निष्कासन तंत्रों की भागीदारी प्रतिभा विकास को भी सहायता प्रदान करेगा। आउट ऑफ पॉकेट भत्ते (ओपीए) के माध्यम से प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन, ई-केआईए और केआईए श्रेणियों में अनुशासन, प्रगति तथा निरंतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करेंगे।

iii) वित्तपोषण: पाँच वर्ष की अवधि में ₹2,407 करोड़ की राशि निर्धारित की जाएगी।

2.6 कोच एवं सहयोगी स्टाफ विकास

i) पृष्ठभूमि: अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण अवसंरचना द्वारा समर्थित उत्कृष्ट कोच तथा विकासात्मक कोच की क्षमता का व्यवस्थित विस्तार, पदक विजेता एथलीट एवं उभरती प्रतिभाओं को वैज्ञानिक एवं उच्च-प्रदर्शन मार्गदर्शन सुनिश्चित करेगा। जमीनी स्तर पर भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है: प्रशिक्षित सामुदायिक कोचों का विकास करना तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को मानकीकृत प्रमाणन पत्रों से लैस करना एक राष्ट्रव्यापी प्रतिभा पहचान नेटवर्क का निर्माण करेगा, जो विद्यालय स्तर से उत्कृष्ट प्रतियोगिता स्तर तक के एथलीटों का पोषण करेगा। भारत के लिए कोचों में निवेश केवल एक सहायक कार्य नहीं है, बल्कि यह वह रणनीतिक गुणक है, जो खेल अवसंरचना एवं प्रतिभा पहचान को सतत ओलंपिक उत्कृष्टता में परिवर्तित करता है।

ii) योजना निर्माण प्रक्रिया: यह घटक जमीनी स्तर से उत्कृष्ट स्तर तक कोच क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु बहु-स्तरीय ढाँचा लागू करेगा, जो भारत के दीर्घकालिक पदक लक्ष्यों के अनुरूप संरक्षित होगा। साई के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रत्यायन बोर्ड (एनसीएबी) सामुदायिक, विकासात्मक, प्रदर्शन तथा उत्कृष्ट/उच्च-प्रदर्शन कोचों को सम्मिलित करने वाली चार-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से कोच प्रमाणन, गुणवत्ता मानदंड तथा कैरियर प्रगति को मानकीकृत करेगा।

यह व्यवस्था मिश्रित शिक्षण प्रणाली, क्षेत्रीय कार्यशालाओं तथा वर्तमान विद्यालय/खेल नेटवर्क के माध्यम से सामुदायिक कोचों के प्रशिक्षण हेतु क्रमबद्ध मॉडल अपनाएगा। ई-खेल पाठशाला डिजिटल मंच के माध्यम से मानकीकृत पाठ्यक्रम, मॉड्यूल आधारित प्रमाणन तथा सतत व्यावसायिक विकास उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदर्शन एवं उत्कृष्ट कोचों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव तथा उन्नत प्रमाणन मिलेगा जबकि ओलंपिक खेल विधाओं को सम्मिलित करते हुए एनएसएनआईएस, पटियाला के नए उप-केंद्रों के माध्यम से कोचिंग डिप्लोमा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।

यह ढाँचा महिला कोचों एवं अधिकारियों हेतु लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, जिसमें सभी प्रमाणनों को सत्यापन, स्थानांतरणीयता तथा एथलीट परिणामों के साथ जुड़ाव हेतु एक राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री में एकीकृत किया जाएगा। कार्यान्वयन समन्वय का कार्य राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल परिसरों, शैक्षणिक संस्थानों तथा क्षेत्रीय केंद्रों के साथ किया जाएगा, जिसे संचालन और रखरखाव, प्रौद्योगिकी प्रणालियों, अद्यतन पाठ्यक्रम, लेखा परीक्षण तथा प्रदर्शन-आधारित निगरानी द्वारा समर्थित किया जाएगा। खेलों में मानव संसाधन विकास (एचआरडीएस) उप-घटक उन क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा, जो अन्य स्कीमों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। यह अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, कोचों, अधिकारियों एवं सहयोगी स्टाफ के प्रमाणीकरण, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाओं, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, विदेशी विशेषज्ञों की भागीदारी, खेल अनुसंधान, प्रकाशन, खिलाड़ियों का पुनः कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन तथा बहुभाषी ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों के विकास हेतु आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

iii) **वित्तपोषण:** पाँच वर्ष की अवधि में ₹748 करोड़ की राशि निर्धारित की जाएगी।

2.7 खेलो इंडिया प्रशिक्षण सुविधाएँ

i) **पृष्ठभूमि:** एकीकृत एवं विस्तार योग्य राष्ट्रीय प्रशिक्षण इकोसिस्टम खेल और शिक्षा को एकीकृत करने वाली प्रमाण-आधारित प्रतिभा श्रृंखला बनाकर, जमीनी स्तर एवं मध्यवर्ती स्तर के खेल विकास को सुदृढ़ करेगा। यह प्रशिक्षण संस्थानों में संचालन मानकों, वित्तपोषण, मानव संसाधन तथा निगरानी को मानकीकृत करेगा, जिससे विखंडन में कमी आएगी तथा एथलीटों एवं कोचों की जमीनी स्तर से उत्कृष्ट स्तर तक की प्रगति सुगम होगी। वैश्विक सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों तथा भारतीय मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए यह पहल प्रतिभा विकास को गति देगी, कोचों के सुनियोजित विकास को सहायता प्रदान करेगी तथा वैश्विक प्रतियोगिताओं में पदक विजेता प्रदर्शन हेतु एक स्थायी प्रतिभा विकास प्रणाली का निर्माण करेगी।

ii) **योजना निर्माण प्रक्रिया:** यह घटक केंद्र, राज्य तथा निजी खेल सुविधाओं को एकीकृत करते हुए जमीनी स्तर से उत्कृष्ट स्तर तक एक समेकित प्रतिभा विकास मार्ग का निर्माण करेगा। उच्चतम स्तर पर, ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र (ओटीसी) सरकारी स्कीमों के समन्वय के माध्यम से उत्कृष्ट एथलीटों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। मध्यवर्ती स्तर पर साई प्रशिक्षण केंद्र, खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियाँ तथा युवा खेल कंपनियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि एकरूप गुणवत्ता मानकों एवं संरचित प्रगति तंत्र हो। जमीनी स्तर पर वर्तमान विद्यालयों को खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय, खेलो इंडिया फीडर स्कूल तथा खेलो इंडिया केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे खेलों को शिक्षा के साथ एकीकृत किया जा सके तथा प्रारंभिक प्रतिभा विकास सुनिश्चित हो सके।

सभी सुविधाओं में खेल विज्ञान, एथलीट कल्याण, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, खेल चिकित्सा, जीवन कौशल तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी को एकीकृत किया जाएगा। खेल-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लचीलेपन सहित मानकीकृत वित्तीय मानदंड, पहचान, निगरानी एवं प्रबंधन हेतु डिजिटल समाधान, मानकीकृत परीक्षण तथा राष्ट्रीय खेल रिपोर्टिंग प्रणाली के साथ एकीकरण के माध्यम से पारदर्शी वित्तपोषण, दीर्घकालिक निगरानी तथा प्रभावी एथलीट विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

iii) **वित्तपोषण:** पाँच वर्ष की अवधि में ₹10,586 करोड़ की राशि निर्धारित की जाएगी।

2.8 फिट इंडिया अभियान

i) **पृष्ठभूमि एवं नियोजन प्रक्रिया:** फिट इंडिया अभियान, जिसका शुभारंभ 29 अगस्त, 2019 को किया गया था, का उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना तथा देशव्यापी फिटनेस संस्कृति का निर्माण करना है। यह फिटनेस क्लबों, आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए), विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा पंचायतों जैसे सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से नियमित सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, साथ ही संरचित फिटनेस सत्रों, योग, स्वदेशी खेलों तथा विद्यार्थियों के लिए फिटनेस आकलन को बढ़ावा देता है। यह पहल महिलाओं, युवाओं तथा दिव्यांगजनों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए समावेशिता पर विशेष बल देती है। इस घटक के अंतर्गत राज्यों के सहयोग, अन्य स्कीमों एवं हितधारकों के साथ अभिसरण के माध्यम से फिट इंडिया अभियान का संस्थागतकरण किया जाएगा तथा इसे जन जन का अभियान बनाया जाएगा। फिट इंडिया ऐप तथा अन्य डिजिटल मंचों के उन्नयन के माध्यम से डिजिटल सहभागिता को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

ii) **वित्तपोषण:** पाँच वर्ष की अवधि में ₹300 करोड़ की राशि निर्धारित की जाएगी।

2.9 खेल प्रौद्योगिकी

i) **पृष्ठभूमि:** स्कीम के व्यापक स्वरूप के अनुरूप तथा निर्बाध समन्वय, निधियों के वितरण, प्रदर्शन निगरानी, बड़े पैमाने पर प्रतिभा के आकलन तथा हितधारकों के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

ii) **नियोजन प्रक्रिया:** इस स्कीम के अंतर्गत एक समग्र समाधान के रूप में **खेलो इंडिया डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र** विकसित किया जाएगा। यह सुशासन, प्रदर्शन विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णयनिर्माण का आधारभूत ढांचा होगा। यह परिवर्तन **खेलो भारत नीति, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम** तथा वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप होगा।

यह मंच एक संघबद्ध संरचना पर आधारित होगा, जो संस्थागत स्वायत्तता का सम्मान करते हुए परस्पर संचालन क्षमता सुनिश्चित करेगा। इसके प्रमुख घटकों में केंद्रीकृत आँकड़ा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय खेल भंडारण प्रणाली (एनएसआरएस), खिलाड़ी प्रबंधन प्रणाली (एएमएस), खेल प्रबंधन प्रणाली (जीएमएस) तथा परिसंघ प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आदि जैसे राष्ट्रीय ढाँचों के साथ एकीकरण से शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उन्नत विश्लेषण के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर प्रतिभा की पहचान, प्रदर्शन निगरानी तथा साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णय-निर्माण को समर्थन मिलेगा, जबकि सार्वजनिक डैशबोर्ड पारदर्शिता तथा नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देंगे।

v) **वित्तपोषण:** पाँच वर्ष की अवधि में ₹302 करोड़ की राशि निर्धारित की जाएगी।

3 प्रशासन

3.1 खेलो भारत नीति के अधिदेश को साकार करने तथा मंत्रालय की समग्र पदक रणनीति के सफल क्रियान्वयन के व्यापक दायरे को देखते हुए, उपर्युक्त पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन, सक्रिय निगरानी तथा

समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए न केवल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण, बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे को भी सुदृढ़ करना आवश्यक है।

3.2 तदनुसार, भारत सरकार की अन्य स्कीमों के अनुरूप, प्रशासन, निगरानी एवं मूल्यांकन से संबंधित व्यय के लिए कुल अनुमानित लागत का लगभग 2 प्रतिशत, अर्थात् पाँच वर्ष की अवधि में ₹559 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

3.3 इस प्रावधान के अंतर्गत मानव संसाधन सहायता, कार्यालय आकस्मिक व्यय, प्रचार एवं दृश्यता, क्षमता निर्माण, डोप-रोधी पहल तथा मूल्यांकन रूपरेखाएँ सम्मिलित होंगी।

4 कार्यान्वयन

4.1 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का खेल विभाग इस स्कीम के परिचालन, समग्र कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग आवश्यकता के अनुसार परिचालन दिशानिर्देश, अन्य आवश्यक निर्देश, परिपत्र, अधिसूचनाएँ, शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा अन्य आदेश जारी कर सकेगा।

5 निगरानी एवं मूल्यांकन

5.1 स्कीम के निर्गतों एवं परिणामों का समय-समय पर आकलन एवं समीक्षा करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

5.2 इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय हितधारकों, विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं, लेखा परीक्षकों तथा अन्य कार्मिकों की सेवाएँ लेने पर विचार कर सकता है।

5.3 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा लेखा परीक्षण पर भी विचार कर सकता है।

5.4 स्कीम का आवधिक, मध्यावधि तथा कार्यान्वयन उपरांत मूल्यांकन किसी तृतीय पक्ष/स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराया जाएगा।

6 अनुमोदन तंत्र

6.1 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन **परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)** द्वारा किया जाएगा, जो अपनी अनुशंसाएँ अनुमोदन तथा कार्यान्वयन के निगरानी के लिए **सचिव (खेल)** की अध्यक्षता वाली **विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति (डीपीएसी)** को प्रस्तुत करेगी।

6.2 इस स्कीम के प्रत्येक घटक के परिचालन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया भी सम्मिलित होगी।

6.3 व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, खेलो इंडिया स्कीम के विभिन्न घटकों के मध्य निधियों के पुनर्विनियोजन का लचीलापन मंत्रालय स्तर पर उपलब्ध होगा।

7 निगरानी तंत्र

7.1 स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी डिजिटल एवं भौतिक दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा, जैसे कि दस्तावेजी साक्ष्यों से समर्थित आवधिक प्रगति प्रतिवेदन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय /भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना, निगरानी समितियों की रिपोर्ट आदि। मानव संसाधनों से समर्थित खेल प्रौद्योगिकी वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

7.2 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी समिति गठित की जा सकती है। निगरानी समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

1.	राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिव/आयुक्त/सचिव (खेल एवं युवा कार्य) अथवा, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के कुलसचिव/डीन	अध्यक्ष
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण/युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के उप सचिव/निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी	सदस्य सचिव
4.	अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति	

8 राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी)

8.1 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री की अध्यक्षता में गठित **राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी)** इस स्कीम के लिए सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय होगी तथा सभी नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्णतः सशक्त होगी।

8.2 राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी) स्कीम के प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए परामर्श दे सकेगी।

8.3 स्कीम को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने, जिसमें नीतिगत दिशानिर्देश एवं दिशा-निर्देशन सम्मिलित हैं, के अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी) स्कीम के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकेगी तथा उसमें सुधार हेतु सुझाव दे सकेगी।

8.4 राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी) देश में स्कीम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एवं निगरानी भी कर सकेगी तथा आवश्यक सुधारात्मक उपायों पर निर्णय ले सकेगी।

8.5 राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी) समय-समय पर निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा कर सकेगी तथा अपनी अनुशंसाओं के आधार पर अपेक्षित सुधारों के संबंध में परामर्श दे सकेगी।

8.6 अनुमोदित/स्वीकृत सभी प्रस्तावों को सूचना एवं आवश्यक परामर्श हेतु राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

9. वित्तीय निहितार्थ:**खेलो इंडिया स्कीम (2026-27 से 2030-31) हेतु कुल वित्तीय परिव्यय (₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	घटक	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	आवासीय	गैर आवासीय	कुल योग	प्रतिशत
1	पदक रणनीति हेतु खेल अवसंरचना	250	1010	1350	1602	654	324	4542	4866	17.1
2	सामरिक खेल परिसंपत्तियों का सुदृढीकरण	200	1963	1750	750	300	0	4963	4963	17.4
3	खेल अवसंरचना विकास हेतु राज्य कार्ययोजना [केंद्रीय अंश]	100	300	400	500	100	0	1400	1400	4.9
4	खेल प्रतियोगिताएँ एवं लीग	252	414	428	615	649	2358	0	2358	8.3
5	प्रतिभा पहचान एवं विकास	324	403	501	571	608	2407	0	2407	8.4
6	कोच एवं सहायक कार्मिकों का विकास	91	105	148	184	220	678	70	748	2.6
7	खेलो इंडिया प्रशिक्षण सुविधाएँ	1761	1700	2005	2356	2764	9154	1432	10586	37.2
8	फिट इंडिया अभियान	60	60	60	60	60	300	0	300	1.1
9	खेल प्रौद्योगिकी	60	60	60	61	61	302	0	302	1.1
क	कुल	3098	6015	6702	6699	5416	15523	12407	27930	98.0
ख	प्रशासनिक व्यय	75	90	108	130	156	559	0	559	2.0
	कुल योग (क + ख)	3173	6105	6810	6829	5572	16082	12407	28489	100.0

खेल अवसंरचना विकास हेतु राज्य कार्ययोजना [राज्य अंश]

क्र.सं.	घटक	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	आवासीय	गैर आवासीय	कुल योग
3	खेल अवसंरचना विकास हेतु राज्य कार्ययोजना [राज्य अंश]	40	125	160	200	40	0	565	565
	खेल अवसंरचना विकास हेतु राज्य कार्ययोजना [राज्य अंश]								29054

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2026

SUBJECT: KHELO INDIA SCHEME – REG.

F. No. K-15018/8/2026-KID—The Government, approved the Khelo India Scheme for the period 2026-27 to 2030-31, with the vision of transforming India's sports landscape.

2. Aligned with Khelo Bharat Niti 2025 and the National Education Policy 2020, the Scheme provides an integrated talent-development pathway from the grassroots to the elite level. This pathway is supported by a pan-India network of training facilities, systematic development of coaches and support staff, and integration of sports science and technology. The Scheme also provides targeted interventions for women, para-athletes, indigenous sports and underserved regions.

3. The Scheme comprises nine components

- i. Sports Infrastructure for Medal Strategy
- ii. Strengthening Strategic Sports Assets
- iii. State Action Plan for Sports Infrastructure Development
- iv. Sports Competitions and Leagues
- v. Talent Identification and Development
- vi. Coach and Support Staff Development
- vii. Khelo India Training Facilities
- viii. Fit India Movement
- ix. Sports Technology

4. The scheme provides for a Project Appraisal Committee (PAC), which shall appraise all proposals received under the scheme and place them before a Departmental Project Approval Committee (DPAC) for approval. The approved projects will be subject to close monitoring, including third party monitoring.

5. The scheme shall be steered by a National Executive Council (NEC) chaired by the Minister of Youth Affairs and Sports, which shall be its highest policymaking body.

6. The approved outlay is ₹29,054 crore, comprising a Central share of ₹28,489 crore and a State share of ₹565 crore for the State Action Plan for Sports Infrastructure Development.

7. The Scheme, as approved by the Union Cabinet, is hereby notified for implementation with immediate effect.

[F. No. K-15018/8/2026-KID]

HARI RANJAN RAO, Secy.

Khelo India Scheme

1. Vision

The Vision of the scheme is *“to transform India’s Sports Landscape”*.

The scheme aims to achieve national excellence on the global stage by strengthening sports infrastructure, talent identification, and international competitiveness. It promotes sports as a tool for social development, inclusivity, health, education, and community engagement, while building a strong sports culture as a people’s movement. Aligned with Khelo Bharat Niti-2025 and NEP 2020, it integrates sports with education to support holistic development, life skills, and both academic and athletic excellence. Through modern coaching, sports science, technology, and data driven governance, the scheme seeks to enhance athlete development across the lifecycle and position sports as a driver of national pride, social cohesion, and economic growth.

2. Components of the Scheme

To fulfill the vision of the scheme and to ensure strengthening of overall sports ecosystem, the components are structured to target a specific aspect such as infrastructure, competition, training facilities, technology, etc. and targeted interventions for specific groups such as women, para-athletes, etc.

Accordingly, the scheme shall comprise the following components:

1. Sports Infrastructure for Medal Strategy
2. Strengthening Strategic Sports Assets
3. State Action Plan for Sports Infrastructure Development
4. Sports Competitions and Leagues
5. Talent Identification and Development
6. Coach and Support Staff Development
7. Khelo India Training Facilities
8. Fit India Movement
9. Sports Technology

2.1 Sports Infrastructure for Medal Strategy

- i) **Background:** The overall infrastructure development strategy is structured into three components: supporting India’s medal strategy, strengthening Sports Authority of India (SAI) and other facilities that nurture elite athletes, and meeting State/UT-specific needs with state contributions to ensure ownership and effective utilization.

Global experience shows that sustained investment in quality sports infrastructure can improve Olympic performance within two to three Olympic cycles. Aligned with the Khelo Bharat Niti, the strategy treats infrastructure as a foundation for athlete development, with priority sports identified through field analysis based on medal potential, regional strengths and popularity to support India’s long-term Olympic podium goals.

- ii) **Planning process:** This component will prioritize Olympic, Asian Games, and other major international disciplines aligned with India’s medal strategy and podium potential.

It will support greenfield and brownfield projects, including fields of play, hostels, strength and conditioning facilities, sports science centres, allied support infrastructure, and repair and maintenance of underutilized assets, with dedicated O&M funding for sustainability. Projects will be selected through stakeholder

consultation, field studies and gap analysis to address infrastructure gaps and talent potential, linking facilities with competitive pathways to support athletes from grassroots to elite levels.

- iii) **Funding:** An amount of ₹4,866 crores will be earmarked over the span of five years.

2.2 Strengthening Strategic Sports Assets

- i) **Background:** India's recent sporting success has been supported by strengthened infrastructure, improved training conditions at SAI facilities, private-sector collaboration, and coordinated planning with NSFs. To continue the momentum and scale this progress, it is vital to upgrade strategic assets within SAI centres and facilities under key organizations like the Army Sports Institute, etc. Modernizing existing hubs and creating new high-performance centres will help provide international-standard training environments, strengthen India's competitive edge, and accelerate progress towards becoming a global sporting powerhouse.

- ii) **Planning process:** This component focuses on modernizing existing facilities and creating new High-Performance Centers with advanced sports science and medicine units. Guided by strategic gap analysis, performance mapping, and global benchmarks, investments will prioritize disciplines with high medal prospects and facilities requiring upgrades to meet international competition standards.

Grants-in-aid will support eligible organizations for infrastructure development, with universal accessibility to ensure inclusion of para-athletes. It will also cover committed liabilities from ongoing Khelo India projects. By integrating sports science, technology, and sustainability, the component aims to create world-class training environments that strengthen India's Olympic strategy and support podium finishes in major international competitions.

- iii) **Funding:** An amount of ₹4,963 crores will be earmarked over the span of five years.

2.3 State Action Plan for Sports Infrastructure Development

- i) **Background:** A continuous demand exists from states for creation of sports facilities whose requirements are unique to the state. This **Centrally Sponsored Scheme (CSS)** component caters to the requirements of states and aims to bridge the gap between grassroots talent identification and elite athlete training by ensuring that sports infrastructure is available even in regions not currently covered under primary national medal strategies. Grounded in cooperative federalism, the component functions as a partnership between the Central Government and State/UT governments to achieve a balanced national sports ecosystem.

- ii) **Planning process:** This centrally sponsored, State-led component promotes State ownership in planning, operations, and optimal resource utilization. Proposals will include State contributions ensuring ownership among states.

Funding will follow a tiered model: 60:40 for General Category States, 90:10 for North-Eastern and Himalayan States, and 100% Central funding for Union Territories, ensuring fiscal discipline, shared responsibility, and uniform infrastructure development.

- iii) **Funding:** An amount of ₹1,965 crores will be earmarked over the span of five years out of which ₹ 1,400 crores is Central Share and ₹ 565 crores is State/UT Share.

2.4 Sports Competitions and Leagues

- i) **Background:** The Khelo India Competitions will be institutionalized as a unified national platform to support India's aspirations for medals in major international competitions and the Khelo Bharat Niti 2025 vision of inclusive sports development. As a strategic engine of the sports development pyramid, it will

strengthen the pathway from grassroots to elite levels through structured competitions for talent identification, athlete development, and performance benchmarking.

Building on its success since 2017–18, including participation of over 60,000 athletes across 24 editions in over 20 States/UTs, the framework will expand competitions across age groups, themes, and categories, with priority to medal-strategy sports. A new layer of leagues will deepen participation beyond national events and promote collaboration between State sports and education departments at district and State levels.

The component will also address gender and access gaps by improving opportunities for women, Para athletes, and marginalized groups, while promoting sports as a tool for empowerment, inclusion, national integration, and long-term medal readiness.

- ii) **Planning process:** The domestic competition framework will be strengthened through a structured mix of events and leagues:
 - a. **Flagship Events** such as Youth and University Games will identify and prepare top talent for international standards.
 - b. **Thematic Events** like Beach Games, Water Sports Festival, and Martial Arts Games will promote regional, cultural, and diverse sports.
 - c. **School, University, Regional and Sport-specific Leagues** will provide regular competition, early talent identification, meet custom needs of sports and ensure alignment with annual sports calendars.
 - d. The framework will also include **ASMITA Leagues** to expand women's participation, **Sports for Peace and Development** in disturbed and border areas to engage youth constructively, promotion of **rural, indigenous and tribal games** to support cultural integration, and dedicated support for **persons with disabilities** to strengthen para-sports participation and performance.
- iii) **Funding:** An amount of ₹2,358 crores will be earmarked over the span of five years.

2.5 Talent Identification and Development (TID)

- i) **Background:** The Talent Identification and Development (TID) component under this scheme is a cornerstone of India's Olympic medal roadmap and the vision of Khelo Bharat Niti. It aims to build a cohesive, standardized, and scientifically driven, technology enabled system for spotting and nurturing high-potential athletes from across the country. By leveraging harmonized protocols, coordinated implementation, and advanced sports science and digital platforms, the initiative ensures that talent is identified early and channelled into structured training programs. This approach creates a seamless pipeline from grassroots to elite performance, reflecting global best practices where nations significantly improved medal tallies through early talent identification coupled with world-class infrastructure and scientific training and monitoring.
- ii) **Planning process:** This component aligns with the medal strategy to systematically identify and nurture athletes across through a uniform, science-based national talent identification and development framework. It will replace fragmented protocols with standardized benchmarks, enabling convergence among Central, State, private entities, SAI and NSFs.

Two athlete layers are envisioned: Khelo India Athletes (KIA), covering existing KIAs, NCOE athletes and benchmark-qualified athletes; and Emerging Khelo India Athletes (E-KIA), covering athletes of SAI Training Centres (STC) and benchmark-qualified emerging talent and potential talent identified on rationale criteria.

The pathway will follow a four-tier structure: Foundation, Grassroots, Intermediate, and Elite, each linked to specific training environments and progression mechanisms. Foundation level will be catered through active

collaboration with school ecosystem, Ministry of Education and grassroots talent will be identified and nurtured through Khelo India Utkrishta Vidyalaya, Khelo India Feeder Schools, and Khelo India Centres; intermediate athletes will be nurtured through STCs, Khelo India Centers of Excellence (Including Universities), National Centers of Excellence, Khelo India Accredited Academies and other suitable academies. The talent is identified and nurtured through institutional measures viz Talent Scouts across sports in States/UTs, Talent Identification Zonal Committees (TIZC) and a national level Talent Identification and Development Committee for each sport. The elite athletes are to be supported through Assistance to National Sports Federations. The process of identification and nurturing is driven by science, global best practices, digital solutions include battery of tests, assessment camps, performance monitoring, athlete management system, etc.

The component will also support talent development through engagement of High-Performance Directors, High Performance Managers, specialized coaches, standardized protocols, athlete monitoring, inter-sport suitability assessments, and structured progression or exclusion mechanisms. Performance-linked incentives through Out-of-Pocket Allowance (OPA) will encourage discipline, progression, and sustained performance across E-KIA and KIA categories.

- iii) **Funding:** An amount of ₹2,407 crores will be earmarked over the span of five years.

2.6 Coach and Support Staff Development

- i) **Background:** Systematic expansion of elite coach and Development coach capacity, aligned with international standards and supported by world-class training infrastructure, will ensure medal athletes and emerging talents receive scientific, high-performance guidance. Equally vital is grassroots engagement: developing trained community coaches and equipping physical education teachers with standardized certifications will create a nationwide talent identification network, nurturing athletes from school level to elite competition. For India, investing in coaches is not just a support function; it is the strategic multiplier that transforms infrastructure and talent identification into sustained Olympic excellence.
- ii) **Planning process:** This component will implement a multi-tier framework to strengthen coaching capacity from grassroots to elite levels, aligned with India's long-term medal goals. A National Coach Accreditation Board (NCAB) under SAI will standardize coach certification, quality benchmarks, and career progression through a four-level system covering community, developmental, performance, and elite/high-performance coaches.

A cascading model will be adopted to train Community Coaches through blended learning, regional workshops, and existing school/sports networks. The e-Khel Paathshala digital platform will offer standardized courses, modular certifications, and continuous professional development. Performance and elite coaches will receive international exposure and advanced certifications, while coaching diploma programs will be expanded through new NSNIS Patiala sub-centres covering Olympic disciplines.

The framework will promote gender equity through targeted programs for female coaches and officials, with all certifications integrated into a national digital registry for verification, portability, and linkage with athlete outcomes. Implementation will be coordinated with State Governments, NSFs, academic institutions, and regional centres, supported by O&M, technology systems, curriculum updates, audits, and performance-linked monitoring.

The Human Resource Development in Sports (HRDS) subcomponent will support capacity-building needs not covered under other schemes. It will provide partial financial assistance for short- and long-term training,

skill development, certification of coaches, officials and support staff, seminars, workshops, international exposure, engagement of foreign experts, sports research, publications, re-skilling and up-skilling of sportspersons, development of multilingual online learning resources, etc.

- iii) **Funding:** An amount of ₹748 crores will be earmarked over the span of five years.

2.7 Khelo India Training Facilities

- i) **Background:** A unified and scalable national training ecosystem will strengthen grassroots and intermediate sports development by creating an evidence-based talent pipeline that integrates sports with education. It will standardize operational norms, funding, manpower, and monitoring across training institutions, reducing fragmentation and enabling seamless athlete and coach progression from grassroots to elite levels. Drawing on global best practices and Indian models, the initiative will accelerate talent development, support structured coach growth, and build a sustainable pipeline for medal-winning performances at global events.
- ii) **Planning process:** This component will create a unified talent development pathway from grassroots to elite levels by integrating Central, State, and private sports facilities. At the top, Olympic Training Centres (OTCs) will train elite athletes through convergence with government schemes. At the intermediate level, STCs, Khelo India Centres of Excellence (KICoEs – including Universities), NCOEs, KIAAs, and Youth Sports Companies, ensuring uniform quality standards and structured progression. At the grassroots level, existing schools will be developed into Khelo India Utkrishta Vidyalayas, Khelo India Feeder Schools, and Khelo India Centres to integrate sports with education and early talent development.
All facilities will integrate sports science, athlete welfare, nutrition, mental health, sports medicine, life skills, and technology-enabled monitoring. Standardized financial norms with flexibility to meet sport specific needs, digital solutions for identification, monitoring, management, etc., standardized testing, and linkage with National Sports Repository System (NSRS) will ensure transparent funding, longitudinal tracking, and effective athlete development.
- iii) **Funding:** An amount of ₹10,586 crores will be earmarked over the span of five years.

2.8 Fit India Movement

- i) **Background and Planning Process:** The Fit India Movement, launched on 29 August 2019, aims to make physical activity a part of daily life and build a nationwide fitness culture. It promotes regular engagement through community hubs like Fitness Clubs, Residential Welfare Associations (RWAs), schools, colleges, and panchayats, while encouraging structured fitness sessions, yoga, indigenous games, and fitness assessments for students. The initiative emphasizes inclusivity by ensuring participation from women, youth, and persons with disabilities. It will focus on institutionalizing Fit India Movement in collaboration with states, convergence with other schemes, stakeholders and make it a people's movement. Digital engagement is being strengthened through upgrades to the Fit India App and other digital forums.
- ii) **Funding:** An amount of ₹300 crores will be earmarked over the span of five years.

2.9 Sports Technology

- i) **Background:** To commensurate with the magnitude of the scheme and for seamless coordination, fund disbursement, performance tracking, capability to assess talent on large scale, facilitating evidence-based decision making for stakeholders, technology becomes key component.
- ii) **Planning Process:** The scheme plans for a Khelo India Digital Ecosystem as a comprehensive solution. It

will serve as the backbone for governance, performance analytics, and policy decision-making. This transformation aligns with Khelo Bharat Niti, the National Sports Governance Act, and India's ambition to host the 2036 Olympics.

The platform will feature a federated architecture that respects institutional autonomy while ensuring interoperability. Key components include the National Sports Repository System (NSRS) for centralized data, Athlete Management System (AMS), Game Management System (GMS), and Federation Management System (FMS). Integration with national frameworks such as NEP, Digital Health Mission, etc. will enable seamless linkages across education, health, etc. Advanced AI-driven analytics will support early talent identification, performance monitoring, and evidence-based policymaking, while public dashboards will enhance transparency and citizen engagement.

- iii) **Funding:** An amount of ₹302 crores will be earmarked over the span of five years.

3. Administration

- 3.1** Considering the magnitude of materialising the mandate of Khelo Bharat Niti and the overall medal strategy of the ministry, it is imperative to strengthen the administrative structures not only at the Ministry and Sports Authority of India, but also the States/UTs to ensure effective implementation, active monitoring and coordination of the above-mentioned initiatives.
- 3.2** Correspondingly, in alignment with the other schemes of Government of India, ~2% of the overall estimate i.e. an amount of ₹559 crores over five years is being provisioned for the expenditure towards Administration, Monitoring and Evaluation.
- 3.3** This will cover: Human Resource Support, Office Contingency, Promotion and Visibility, Capacity Building and Anti-Doping Initiatives and Evaluation Frameworks.

4. Implementation

- 4.1** The Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, shall be responsible for operationalising the Scheme and overall implementation and monitoring of the same. For this purpose, the Department may issue operational guidelines and other necessary directives, circulars, notifications, delegations and other orders, as and when required.

5. Monitoring and Evaluation

- 5.1** A monitoring mechanism will be set up to measure and review the outputs/outcomes of the scheme on a periodic basis.
- 5.2** The Ministry may consider utilising the services of stakeholders/experts/ consultants/ auditors and other personnel for this purpose.
- 5.3** The Ministry of Youth Affairs and Sports may also consider carrying out monitoring, supervision, quality control and audit of the infrastructure projects financed under this Scheme as per the relevant provisions.
- 5.4** A periodic, mid-term and post-implementation evaluation of the Scheme will be conducted by a third party / independent agency.

6. Approval Mechanism

- 6.1** The project proposals will be appraised by the Project Appraisal Committee (PAC), which will submit its recommendations to the Departmental Project Approval Committee (DPAC) headed by Secretary (Sports) for approval and monitoring of implementation.
- 6.2** The Operational Guidelines of each component of this Scheme will, inter alia, include the procedure for proposal/approval/implementation.
- 6.3** The flexibility to re-appropriate allocations across the components of the Khelo India Scheme shall be at the Ministry level, in accordance with the guidelines of the Department of Expenditure.

7. Monitoring Mechanism

- 7.1** Monitoring the progress of implementation of the Scheme may be done through digital and physical modes viz periodic progress reports supported by documentary evidence, field visits by representatives of the MYAS/SAI, furnishing of Utilisation Certificates, reports of the Monitoring Committees, etc. Sports Technology augmented with human resources will be vital in ensuring real time monitoring.
- 7.2** A Monitoring Committee may be constituted to watch the progress of the projects in each State/UT. The constitution of the Monitoring Committee shall be as follows:

1.	Principal Secretary/ Commissioner/ Secretary (Sports and Youth Affairs)/ of the State or UTs /Registrar/ Dean of University as the case may be	Chairperson
2.	Representative from Sports Authority of India/Ministry of Youth Affairs and Sports	Member
3.	Deputy Secretary/Director or officer of equivalent rank from the concerned State/UT Government	Member Secretary
4.	Any other person the Chairperson may like to co-opt.	

8. National Executive Council (NEC)

- 8.1** The NEC chaired by the Minister, Youth Affairs and Sports will be the highest policymaking body for the Scheme and will be fully empowered to decide all policy matters.
- 8.2** The NEC may advise the Scheme for effective and efficient implementation.
- 8.3** Apart from giving overall guidance, including policy guidelines and direction to the Scheme, the NEC may review the performance of the Scheme and suggest improvements.
- 8.4** The NEC may also evaluate and monitor implementation of the Scheme in the country and decide on course-correction measures.
- 8.5** The NEC may review the monitoring and redressal mechanism from time to time and advise on improvements required based on recommendations of the NEC.
- 8.6** All proposals approved/sanctioned may be laid before the NEC for information and advice thereon.

9. Financial Implications:**Total Financial Outlay for Khelo India Scheme (2026-27 to 2030-31) (in Rs Crores)****R – Recurring, NR – Non-Recurring**

Sl. No.	Components	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	R	NR	Grand Total	% age
1	Sports Infrastructure for Medal Strategy	250	1,010	1,350	1,602	654	324	4,542	4,866	17.1
2	Strengthening Strategic Sports Assets	200	1,963	1,750	750	300	0	4,963	4,963	17.4
3	State Action Plan for Sports Infrastructure Development [Central Share]	100	300	400	500	100	0	1,400	1,400	4.9
4	Sports Competitions and Leagues	252	414	428	615	649	2,358	0	2,358	8.3
5	Talent Identification and Development	324	403	501	571	608	2,407	0	2,407	8.4
6	Coach and Support Staff Development	91	105	148	184	220	678	70	748	2.6
7	Khelo India Training Facilities	1,761	1,700	2,005	2,356	2,764	9,154	1,432	10,586	37.2
8	Fit India Movement	60	60	60	60	60	300	0	300	1.1
9	Sports Technology	60	60	60	61	61	302	0	302	1.1
A	Total	3,098	6,015	6,702	6,699	5,416	15,523	12,407	27,930	98.0
B	Administrative Expenses	75	90	108	130	156	559	0	559	2.0
	Grand Total (A+B)	3,173	6,105	6,810	6,829	5,572	16,082	12,407	28,489	100.0

State Action Plan for Sports Infrastructure Development – [State share]

Sl. No.	Components	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	R	NR	Grand Total
3	State Action Plan for Sports Infrastructure Development - [State share]	40	125	160	200	40	0	565	565
	Considering the CS and CSS Outlay, the Total								29,054